

75
RECEIVED
AGENCY COPY

यूनियन बैंक  Union Bank



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 20-10-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIFI Application No.	6148384768
MoEF/SG File No.	1158/21
Address.	Temporary Division, PWD, Rishikesh Dehradun
Remitter Contact No., Email Id., Mobile No., Landline No.	galdhata@rediffmail.com 9412053901 123-2430660
Amount (In Ru.)	₹37495/-
Beneficiary Branch And Code	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount In Words Five Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred And Ninety-Five Rupees Only

Excess amount
y. DIVISION D.



- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies m

Note: After making the required payment through ch
then kindly mail a copy of your challan with transact
Email: epurna@unionbankofindia.com

प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौङ्गा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हेतु 0 वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा—सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हेतु 0 वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हेतु 0.2625 वन भूमि का लोनिविंगो को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण समतल भूमि में मिटटी भरान कर किया जाना है इसलिये उक्त मार्ग निर्माण हेतु न ही मक डम्पिंग योजना बनाने की जरूरत है और न ही डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता है।

सहायक आमेयन्ता
अस्थाई खण्ड लोपनिविद
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौडा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हेक्टेएक्ट वन भूमि का लोनिओविं को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण हेतु किसी भी प्रकार के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोनिओविं
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोनिओविं
ऋषिकेश

प्रमाण—पत्र

परियोजना का नामः— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा-सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु 0.2625 हेटु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक ~~अभियन्ता~~
अस्थाई खण्ड ~~लो०नि०वि०~~
ऋषिकेश

अधिशासी ~~अभियन्ता~~
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरौली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक के मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.2625 हेतु वन भूमि का लो0नि�0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006(समय-समय पर संसोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11-09 /98-FC(pt) दिनांक 09.08.2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.02.2020 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ—

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरौली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.2625 हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि�0वि0, ऋषिकेश को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा-6(1) के अनुसार सौड़ा सरौली में ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 21.01.2020 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा-6(3)के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित उपजिलाधिकारी समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 31.01.2020 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि उनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकारी हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न की गई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
जिला समाजस्क समिति अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
समाजस्क समिति प्रमाण प्रमाणी
मसूसदत्त प्रभाग प्रमाणी
मसूरी

जिलाधिकारी
अध्यक्ष
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून।

Form-II
For Project other linear projects
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 57/F.R.A. D.DM

Dated 25/02/2020

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 0.2625 hectares forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttrakhand/ Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for Construction of Souda Saroli Main road to Shirwalgarh Motor road in Dehradun District falls within jurisdiction of Gram Panchayat Souda Saroli in Dehradun Tehsil.


It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement for right under the FRA has been carried out for the entire 0.2625 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- (a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication , in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
- (b) The each of concerned Gram Sabha(s), has been certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measured, if any, having understood the purposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure to annexure....
- (c) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (e) The rights of Primitive Tribal/Groups and pre- agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA.

Encl. :- as above.

Signature

(Full name and official seal of the District collector)



FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 57/F.R.A. D.DM

Dated 25/02/2020

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MOEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non & forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.2625 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer T.D. P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Construction of Saura Saroli main road to Shirwal garh motor road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Saura Saroli village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

- a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 0.2625 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee's Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
- b. The diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- c. The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and official seal of the District collector)

मिसाली देव
दहरादून।

**कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्डीय स्तरीय समिति, देहरादून।**

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु (0.2625 हेठो आरक्षित वन भूमि 0.00 हेठो सिविल/समाज भूमि 1.1375 हेठो नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो०नि०वि०, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की बैठक दिनांक 31. 01. 2020 का कार्यवाही विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. श्री <u>गीर्वाल उपजिलाधिकारी</u> | <u>उप जिलाधिकारी अध्यक्ष</u> |
| 2. श्री <u>कुमारी लक्ष्मी</u> | <u>सदस्य परम्परागत वन अधिकारी</u> |
| 3. श्री <u>मालाक्षी उपखण्ड स्तरीय अधिकारी</u> | <u>सदस्य समाज सभा</u> |
| 4. श्री <u>सुरेन</u> | <u>सदस्य विंखो-रायपुर</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु (0.2625 हेठो आरक्षित वन भूमि 0.00 हेठो सिविल/समाज भूमि 1.1375 हेठो नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो०नि०वि०, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माठ सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि सौड़ा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक पहुंच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौड़ा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग निर्माण हेतु (0.2625 हेठो आरक्षित वन भूमि 0.00 हेठो सिविल/समाज भूमि 1.1375 हेठो नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो०नि०वि०, ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-देहरादून उपखण्ड रायपुर
देहरादून।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Asw0 Raipur क्षेत्र पंचायत सदस्य
10 सौड़ा सरोली
विंखो-रायपुर, देहरादून।
मालाक्षी उपखण्डी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-देहरादून उपखण्ड रायपुर
देहरादून।

कार्यालय ग्राम पंचायत सौँडा सरोली तहसील देहरादून जिला देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौँडा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग के नव निर्माण हेतू (0.2625 हेतू आरक्षित वन भूमि - हेतू सिविल/समाज भूमि 1.1375 हेतू नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत सौँडा सरोली द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा आवेदन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदन वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सौँडा सरोली के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सौँडा सरोली मुख्य मार्ग से सिरवालगढ़ गांव तक मार्ग के नव निर्माण हेतू (0.2625 हेतू आरक्षित वन भूमि - हेतू सिविल/समाज भूमि 1.1375 हेतू नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को मार्ग निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास आयोग
विठ्ठल - रामपुरा, सौँडा सरोली
जिला - देहरादून ८०५०
21/11/2020



ग्राम पंचायत सौँडा सरोली

संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दीरामिलम	<u>Yash</u>
2	नरेंद्र दिव	<u>Div</u>
3	गुलाबलीदू	<u>Gulab</u>
4	जोशी रुद्रगुप्ता जिलो पंचायत संघाम	<u>Rudragupta</u>
5	नवरात्रि लोकी अद्धपता	<u>Nawaratni</u>
6	विनोद प्रसाद गोडे जोडीसमूही	<u>Vinod</u>
7	जोहिंद सिंह रावत सौँडा पटेल	<u>Johind</u>
8	बीलीन्द्र रावत रावत सौँडा पटेल	<u>Bilindra</u>
9	दीपा लक्ष्मी पवार	<u>Dipalakshmi</u>
10	अनिलानंद	()
11	रामेश पवार	<u>Ramesh</u>
12	दीपा देवी	<u>Deepa Devi</u>
13	दीपा लक्ष्मी पवार	<u>Deepa Lakshmi</u>
14-	वारेंद्र दिव	<u>Varendr</u>
15	दीपा लक्ष्मी दिव	<u>Deepa Lakshmi</u>
16	दीपा लक्ष्मी दिव पवार	<u>Deepa Lakshmi Pawar</u>
17	दिनेश सिंह	<u>Dinesh Singh</u>
18	रमेशीला सिंह रावता	<u>Rameshila Singh Rawat</u>
19	दीपा लक्ष्मी	<u>Deepa Lakshmi</u>
20	जुलाई आर	<u>Julai Arre</u>